''प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष आकर्षण

प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास

- ''भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की थी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय सुविधाओं, 24x7 विद्युत आपूर्ति तथा सुविधाओं के साथ पक्का मकान होगा।''
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास की परियोजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के विभिन्न घटकों में से ''भागीदारी में किफायती आवास'' (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विभिन्न जनपदों में संचालित आवासीय योजनाओं में (जी+3 प्रकार) बहुमंजिले भवनों को प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
- **उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एक परिचय :** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यो में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

भवनों/फ्लैटों की योजना के मुख्य आकर्षण

1. सुपर एरियाः— 34.07 वर्ग मीटर।
2. कारपेट एरियाः— 22.77 वर्ग मीटर।
3. दो कमरा, एक किचन, स्पेस, एक बाथरूम, एक शौचालय एवं बालकनी।
4. रु0 25,000/—(रुपये पच्चीस हजार मात्र) देकर फ्लैट/ भवन का पंजीयन कराया जा सकता है।
5. प्रति भवन की कुल लागत — रु0 4.50 लाख
6. केन्द्र सरकार का अंशदान — रु0 1.50 लाख
7. राज्य सरकार का अंशदान — रु0 1.00 लाख

   सरकार का कुल अंशदान योग :— रू0 2.50 लाख
8. चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रु0 2.00 लाख प्रति भवन/फ्लैट।
9. रु0 25,000,/— पंजीकरण धनराशि के उपरान्त शेष धनराशि सब्याज 05 वर्षों में अर्थात 60 मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा।
10. पंजीकृत लाभार्थी द्वारा यदि आवंटन पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 3 माह में संपूर्ण अवशेष धनराशि जमा किये जाने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

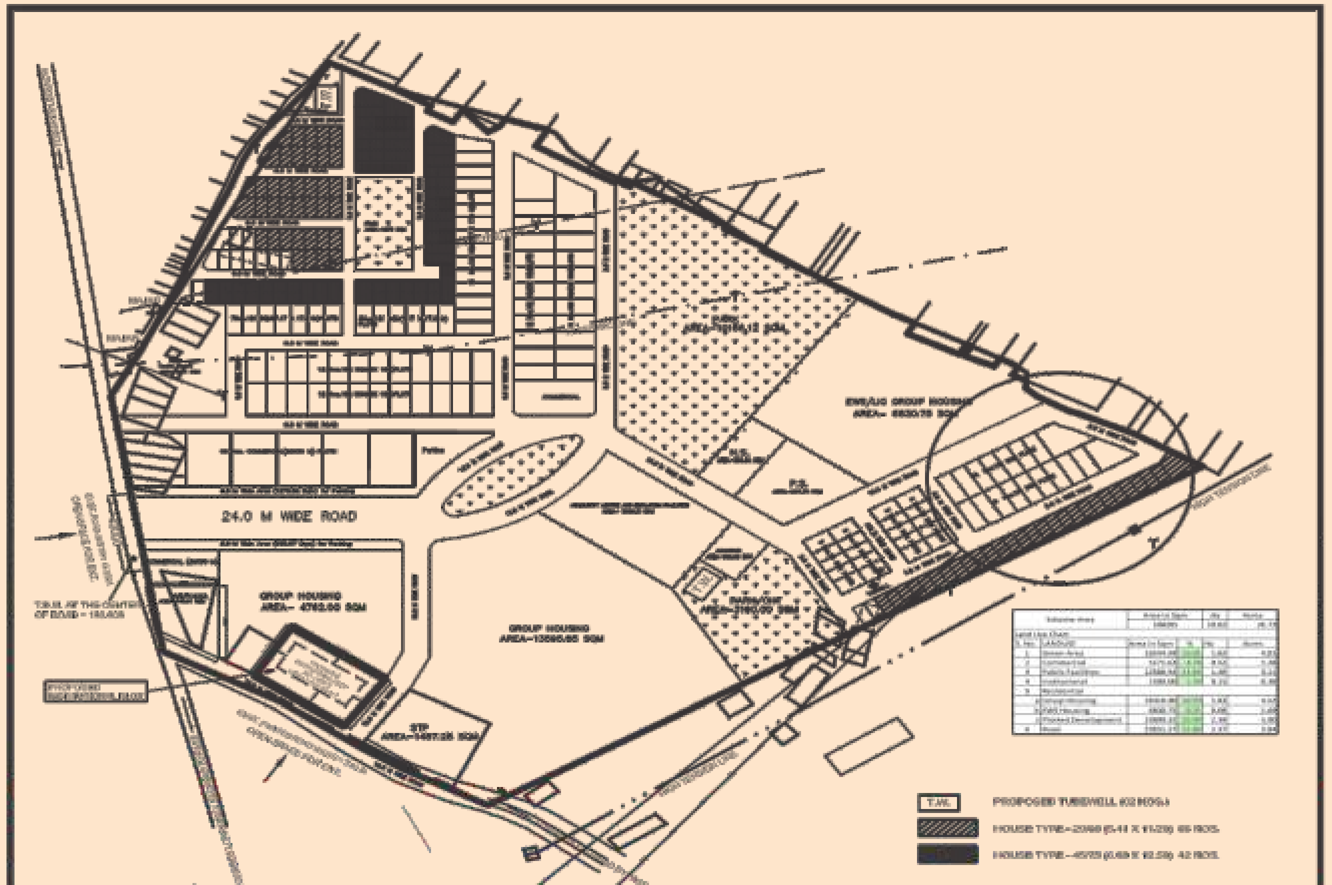

KEY PLAN OF LOHRAMAU YOJNA, SULTANPUR

KEY PLAN OF AVADH VIHAR YOJNA, LUCKNOW

मूल्य : ₹ 50/- जी.एस.टी. सहित

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

पंजीकरण अवधि

20.03.2018 से 12.04.2018 तक

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ

विशेष पंजीकरण पुस्तिका–2018
(प्रथम चरण)

"प्रधानमंत्री आवास योजना–(शहरी) सबके लिए आवास
भागीदारी में किफायती (ए.एच.पी.) घटक के अन्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों हेतु (जी+3) प्रकार के फ्लैट/भवन प्राप्त करने का
स्वर्णिम अवसर

परियोजना पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 31 दिसम्बर, 2019

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत सी.एस.सी./सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका से चयनित पात्र लाभार्थी ही फ्लैट/भवन पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.
Website : www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com
Toll Free No. : 1800-180-5333 जन सुविधा केन्द्र 0522-2236803

परिषद द्वारा विभिन्न जनपदों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का विवरण

1. अवध विहार योजना, लखनऊ	
(अ) अवध विहार योजना, सेक्टर-7ए, लखनऊ	रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ15287
(ब) अवध विहार योजना, सेक्टर-10 बी, लखनऊ	रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ15315
(स) अवध विहार योजना, सेक्टर-3 भाग-2, लखनऊ	रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ15294
(द) अवध विहार योजना, सेक्टर-3 भाग-1, लखनऊ	रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ15312
2. लोहरामऊ रोड योजना सुल्तानपुर	रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ15327
3. मझोला योजना संख्या-4, मुरादाबाद	रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ15332
4. जागृति विहार योजना (विस्तार), मेरठ	रेरा पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ15333

UNIT PLAN FURNITURE DETAILS

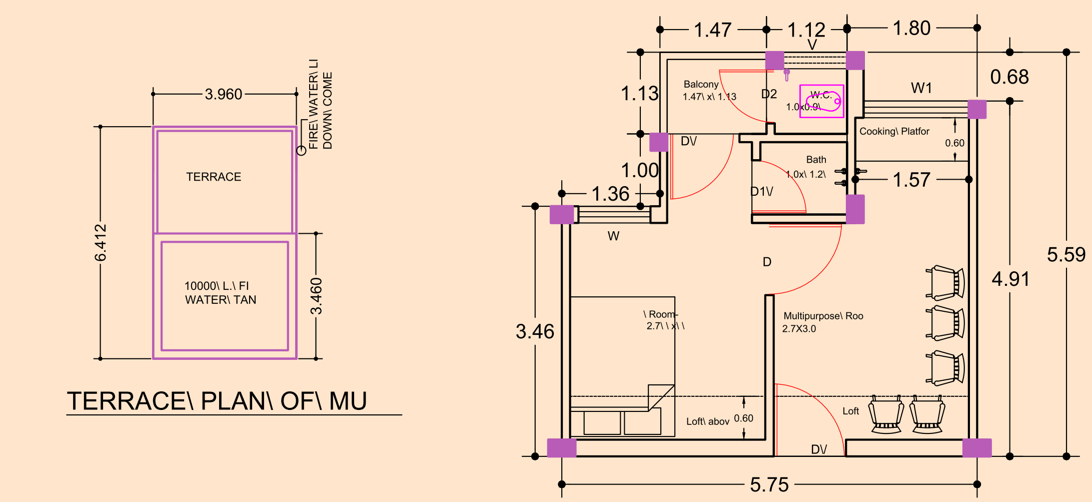

TERRACE PLAN

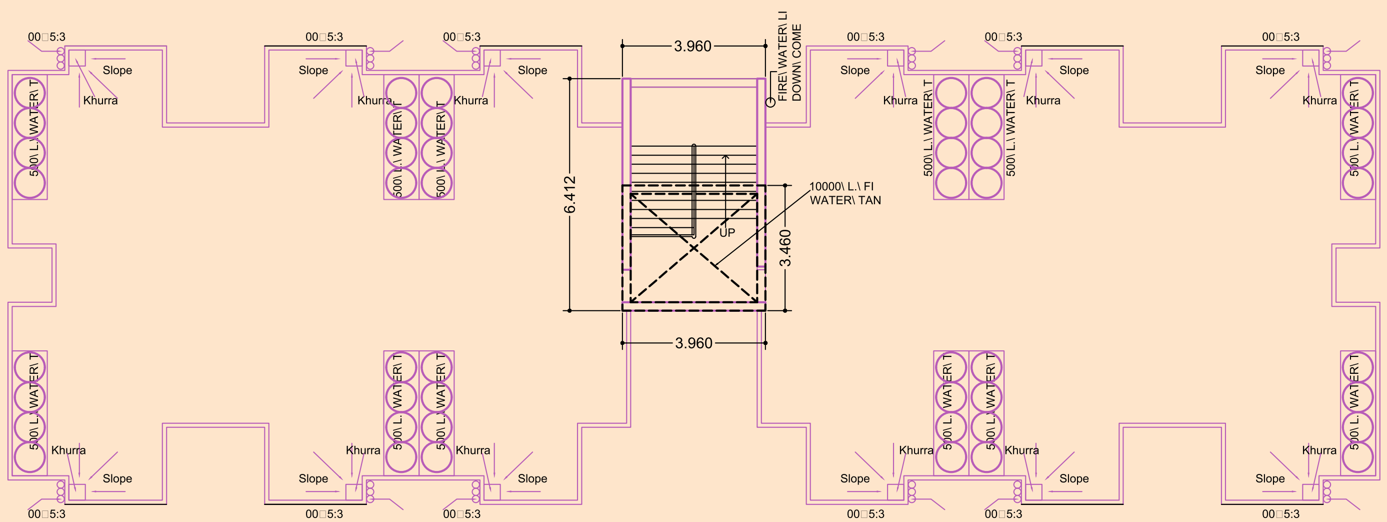

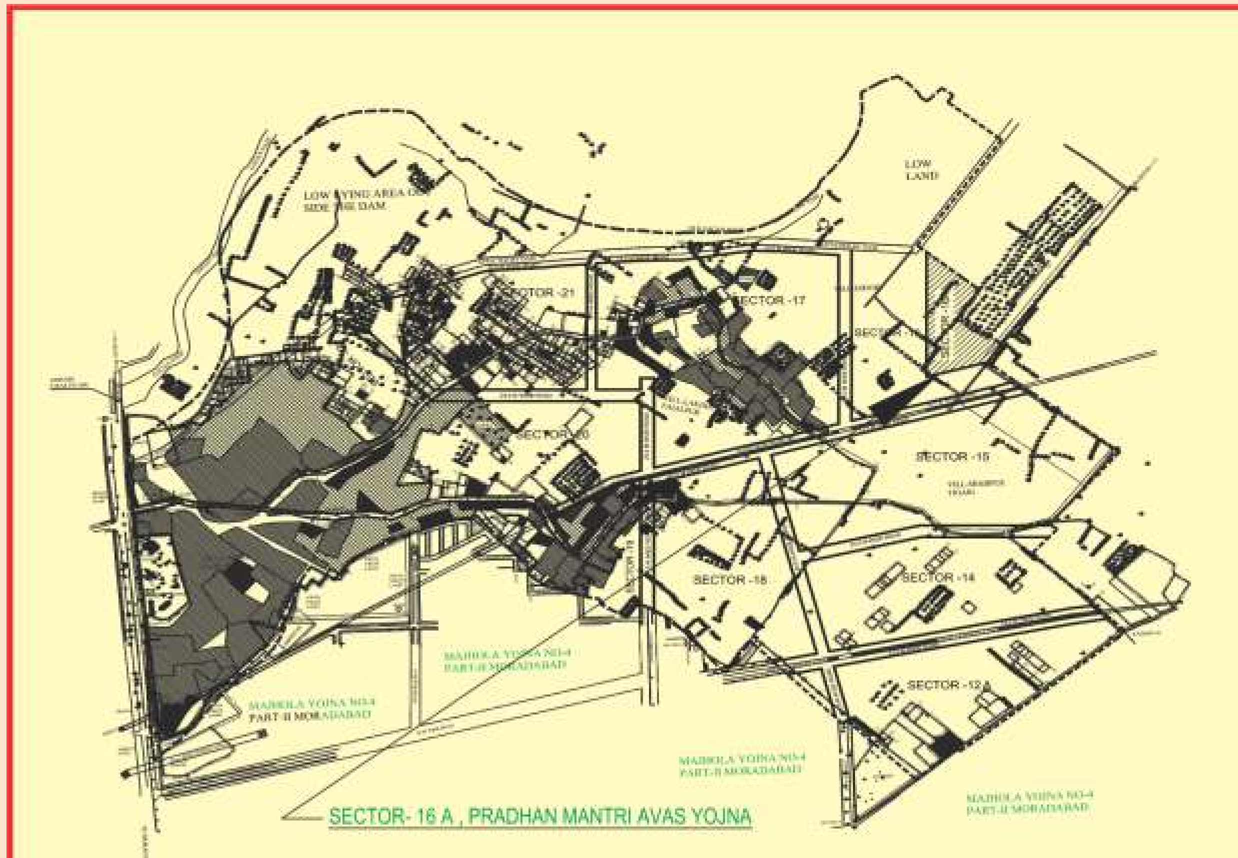

KEY PLAN OF MAJHOLA YOJNA NO.-4, PART-II (VISTAR), MORADABAD.

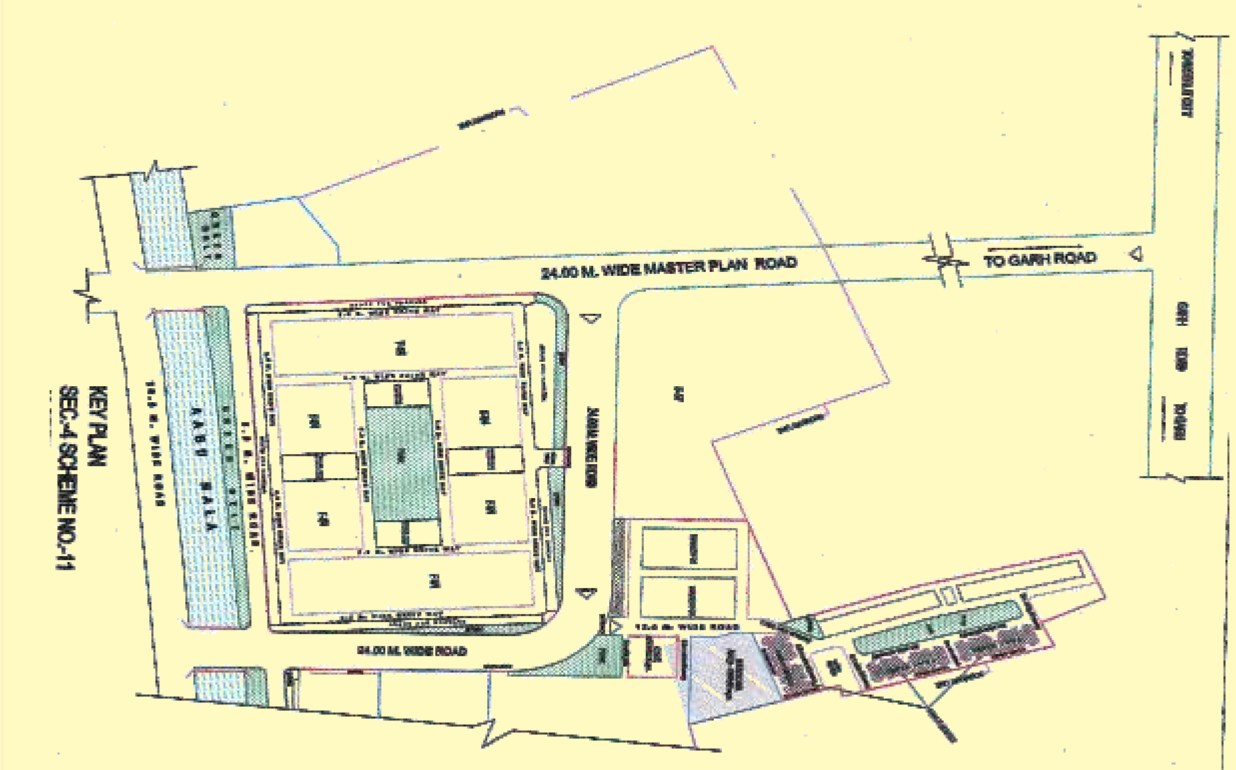

KEY PLAN OF JAGRATI VIHAR, MEERUT

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत (जी+3) प्रकार के फ्लैट/भवन का विशेष पंजीकरण–2018 (प्रथम चरण)

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक 20.03.2018 से दिनांक 12.04.2018 तक

पंजीकरण हेतु फ्लैट/भवनों का विवरण

क्र सं.	योजना का नाम	फ्लैटों/भवनों की संख्या	सुपर एरिया	कार्पेट एरिया वर्ग मीटर	प्रति फ्लैट/भवन की कुल लागत रु. लाख में	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रुपये में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)	शेष धनराशि (रुपये में)	फ्लैट/भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि	
									संख्या (रु. में)	धनराशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अवध विहार योजना, लखनऊ	4752 नग	34.07	22.77	4.50	2,50,000.00	25000.00	175000.00	60	3675
2.	लोहरामऊ मार्ग योजना सुल्तानपुर	192 नग	34.07	22.77	4.50	2,50,000.00	25000.00	175000.00	60	3675
3.	मझोला योजना संख्या–4 मुरादाबाद	288 नग	34.07	22.77	4.50	2,50,000.00	25000.00	175000.00	60	3675
4.	जागृति विहार विस्तार मेरठ	144 नग	34.07	22.77	4.50	2,50,000.00	25000.00	175000.00	60	3675

पंजीकरण हेतु पात्रता :

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सी0एम0सी0 सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका में पंजीकरण कराया हो तथा पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हों।
3. पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु–18 वर्ष से कम न हो।
4. लाभार्थी परिवार (मुखिया) में पति–पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
5. आरक्षित/विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी द्वारा जारी जाति/दिव्यांग प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा में आवेदक/लाभार्थी द्वारा आवेदित आवेदन पत्र का यूनिक आई0डी0 संख्या जो आवंटित हुआ है तथा आधार नम्बर पंजीकृत होना चाहिए।
7. पंजीकरण हेतु परिवार की महिला, मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास को परिवार के पुरूष मुखिया के नाम किया जा सकता है।
8. आवेदक/लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिए आवास परियोजना के ए0एच0पी0 घटक में पंजीकृत हों।
9. अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन–पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे।
10. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजीकरण/आवंटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।

विशेष नोट :–

- आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली–भॉति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- आवेदक यदि केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका की पात्रता सूची में नहीं पाया जाता है तो आवंटन/पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
- पंजीकरण/आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी किसी भी प्रकार के निर्गत आदेश/दिशा–निर्देश बाध्यकारी होगें।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना(शहरी)–सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं।**

पंजीकरण/चयन की नियम व शर्तें

1. **पंजीकरण हेतु पंजीकरण धनराशि रू0 25000/– का बैंक ड्राफ्ट ''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद'' के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।**
2. **पंजीकरण फार्म पूर्णरूप से भरे हुए दिनांक 12.04.2018 तक योजना/शहर के लिए निर्धारित सम्बन्धित बैंक में ही जमा किये जायेंगे।**
3. ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नहीं होंगे।
4. आवंटन की प्रक्रिया में वे आवेदक ही सम्मलित होगें जिनका पंजीकरण केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका में चयनित पात्र लाभार्थियों के रूप में किया गया होगा।
5. पंजीकृत लाभार्थी का सत्यापन उसके आधार नम्बर जो केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका में पंजीकृत होगें, के आधार पर किया जायेगा।
6. आवासों का आवंटन एसएलएसएमसी द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
7. आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आवंटन स्थल/सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय पर चयनित पात्र सफल लाभार्थियों का नाम प्रदर्शित किये जायेगें।
8. पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत बैंक खाते में R.T.G.S के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
9. सामान्यतया आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
10. पात्र लाभार्थियों को लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से तथा समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित करायी जायेगी।

11. यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
12. चयन/लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनकों आवंटित सम्पत्ति का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात् परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी।
13. यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु प्रदेशन–पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। प्रदेशन पत्र जारी होने के 3 माह पश्चात पंजीकरण/आवंटन निरस्त कराने पर पंजीकरण धनराशि की 50 प्रतिशत कटौती करके शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी0एस0टी0, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
15. आवेदक के पक्ष में फ्लैट/भवन आवंटन के शेष धनराशि रू0 1,75,000/–(एक लाख पछहत्तर हजार मात्र) पर 9.50 प्रतिशत ब्याज सहित 05 वर्ष (60 मासिक किश्तों) का निर्धारण किया जायेगा। किश्तों की धनराशि ससमय जमा न करने पर आवंटी को साधारण ब्याज के साथ–साथ 02 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त ब्याज के रूप में देय होगी।
16. आवंटी द्वारा समस्त बकाया धनराशि का भुगतान प्रदेशन–पत्र की तिथि से 03 माह में कर दिया जाता है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. उ0प्र0 भू–सम्पदा(विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। चयन में सफल आवेदकों को **आवंटित** सम्पत्ति का आवंटन/मांग पत्र निर्गम से पूर्व भू–सम्पदा(विनियम एवं विकास) अधिनियम–2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित कराना होगा।
18. फ्लैट/भवन के कब्जा हेतु नियमानुसार किश्त किराया किरायेदारी अनुबन्ध (रूपया 100 के स्टाम्प पेपर पर) निष्पादित कराते हुए, कब्जा सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर फ्लैट/भवन का कब्जा दिया जायेगा।
19. आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट/भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त, कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासना देश के अनुसार रू0 500/–स्टाम्प पेपर व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के पश्चात् विक्रय विलेख/सेल डीड निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।

आरक्षण के संबंध में जारी शासनादेश संख्या–1383स0पी0/9–आ–7–94–18मिस/88, दिनांक 23.11.1996 के कम में जारी कार्यालय आदेश संख्या–809/स0प्र0–3/ 20–21/94/530 दिनांक 28.06.2008 में निम्न व्यवस्था प्रावधानित है।

आरक्षणः

क0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	––––––––––तदैव––––––––––––
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	–––––––––तदैव–––––––––––––

नोटः–शासनादेश/परिषदादेशो में प्राविधानानुसार उपरोक्त में, से **कमांक 01 से 03** में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगें लाटरी ड्रा में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।

2. उ0प्र0 शासन द्वारा अन्य किसी श्रेणी/वर्ग को आरक्षण/वरीयता निर्धारित किया जाता है, तद्नुसार आरक्षण/वरीयता अनुमन्य होगा।

फ्लैटों/भवनों हेतु निर्धारित बैंकों का विवरण

निर्धारित बैंक शाखाओं का विवरण जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

पंजीकरण दिनांक 20.03.2018 प्रारम्भ पंजीकरण
आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम दिनांक 12.04.2018 तक

अवध विहार योजना, लखनऊ

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	बैंक का नाम एवं पता	बैंक अधिकारी का नाम	मोबाइल नं.
1.	अवध विहार योजना, लखनऊ	आन्ध्रा बैंक 6ए विधान सभा मार्ग, बापू भवन के सामने, लखनऊ।	श्री गोपाल	8558800906
	तदैव	आन्ध्रा बैंक शाखा–डी–1402 जागृति भवन कलेवा स्वीट, इन्दिरा नगर, लखनऊ	श्री विजय कुमार खन्ना	9455129758
2.	तदैव	एक्सिस बैंक, 31/93 महात्मा गांधी मार्ग, राजभवन के सामने, लखनऊ	श्री राहुल निगम	9454446691
	तदैव	एक्सिस बैंक, प्रथम तल, प्रगति बाजार, कपूरथला शाखा अलीगंज, लखनऊ	श्री प्रशान्त शाहा	9450639196

परिषद के अधिकारियों का विवरण

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	अवध विहार योजना, लखनऊ	श्रीमती नीलम, उप आवास आयुक्त, लखनऊ जोन	104, महात्मा गांधी मार्ग, मुख्यालय लखनऊ	0522–2235848
2.	तदैव	श्री यू.सी. सिंह अधिशासी अभियन्ता/ निर्माण खण्ड–7	आफिस काम्पलेक्स भूतनाथ इन्दिरा नगर, लखनऊ।	8795810064
3.	तदैव	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद अधिशाषी अभियंता/ निर्माण खण्ड–3	आफिस काम्पलेक्स तृतीय तल, से.–9ए, वृन्दावन योजना सं.–2 भाग–2 रायबरेली रोड लखनऊ	8795810066
4.	तदैव	श्री के.आर. लोहुमी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–19	आफिस काम्पलेक्स चतुर्थ तल, से.–9ए, वृन्दावन योजना सं.–2 भाग–2, रायबरेली रोड लखनऊ	8795810079

क्रमांक	योजना / शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
5.	तदैव	श्री आर.के. सिंह, प्रभारी सम्पत्ति प्रबंधक	अवध विहार योजना आफिस काम्पलेक्स प्रथम तल, सेक्टर–9ए, वृन्दावन योजना सं.–2 भाग–2, रायबरेली रोड लखनऊ–226002	8798510666

लोहरामऊ योजना, सुल्तानपुर

क्रमांक	योजना / शहर का नाम	बैंक का नाम एवं पता	बैंक अधिकारी का नाम	मोबाइल नं.
1.	लोहरामऊ	आन्ध्रा बैंक सुल्तानपुर	श्री प्रशान्त कुमार सिंह 768, थाडी साडा निकट नेशनल टाकीज सर्किल सुल्तानपुर	05362–225063 8795913121
2.	लोहरामऊ	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक 1228 सिविल लाइन्स गोलाघाट, सुल्तानपुर	श्री मनीष कुमार सिंह, 1028 सिविल लाइन्स गोलाघाट, सुल्तानपुर	5362–240706

परिषद के अधिकारियों का विवरण

क्रमांक	योजना / शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	लोहरामऊ	डॉ. अनिल कुमार, उप आवास आयुक्त वाराणसी जोन	आफिस कम शापिंग काम्पलेक्स, जवाहर नगर (भेलूपुर) वाराणसी	8795810018
2.	तदैव	श्री वी.एन. दीक्षित अधीक्षण अभियन्ता	मुख्यालय वृत्त, नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरा नगर, लखनऊ	8795810038
3.	तदैव	श्री डी.के. श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–31	आफिस काम्पलेक्स चतुर्थ तल, सेक्टर–9ए, वृन्दावन योजना सं.–2 भाग–2, रायबरेली रोड, लखनऊ	8795811578
4.	तदैव	श्री ओम प्रकाश सिंह, प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक	कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक, ए–1, आफिस काम्पलेक्स, तेलियरगंज, इलाहाबाद–211004	8795810747

मझोला योजना संख्या–4, मुरादाबाद

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	बैंक का नाम एवं पता	बैंक अधिकारी का नाम	मोबाइल नं.
1.	मझोला योजना सं.–4 मुरादाबाद	इंडसइंड बैंक लि. एकता द्वार, साई टावर, मुरादाबाद	श्री रविन्दर सिंह आर.आर.एम. लखनऊ	09648493888 09451013488
			श्री भानू प्रताप सिंह आर.एम. मुरादाबाद	08193046916
2.	तदैव	इण्डियन ओवरसीज बैंक, मुख्य शाखा स्टेशन रोड, मुरादाबाद	श्री अभिनव दयाल, डिप्टी मैनेजर	8605551839
			श्री दीपक जोशी सहायक मैनेजर	90444838250

परिषद के अधिकारियों का विवरण

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	मझोला योजना, मुरादाबाद	श्री लक्ष्मण प्रसाद, उप आवास आयुक्त (बरेली जोन)	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ	0522–2237867
2.	तदैव	श्री आर.बी. यादव, अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, बौद्ध विहार, मुरादाबाद	8795810053
3.	तदैव	श्री पी.के. वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–25	उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद बौद्ध विहार, मुरादाबाद	8795810127
4.	तदैव	श्री शोभित कुमार पाठक, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–26	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, बौद्ध विहार, मुरादाबाद	8795810200
5.	तदैव	श्री ए.के. सिंह, प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मझोला, योजना संख्या–4, भाग–2, मुरादाबाद–244001	8795810726

जागृति विहार योजना, मेरठ

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	बैंक का नाम एवं पता	बैंक अधिकारी का नाम	मोबाइल नं.
1.	जागृति विहार योजना, विस्तार योजना, मेरठ	इण्डियन ओवरसीज बैंक बी–ब्लाक, शास्त्रीनगर, मेरठ	श्रीमती सीमा शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक	0121–2767632 8126540381
2.	तदैव	इंडसइंड बैंक लि., 22 तेजगढ़ी शाखा, ग्राउण्ड फ्लोर त्यागी मार्केट, गढ़ रोड, मेरठ	श्री ललित रस्तोगी वरिष्ठ प्रबन्धक	0121–2770489 0121–2763756 9917808575

परिषद के अधिकारियों का विवरण

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	जागृति विहार योजना, विस्तार योजना, मेरठ	श्री महेन्द्र प्रसाद संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ जोन	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, शास्त्री नगर, मेरठ	0121–2760415
2.	तदैव	श्री एस.पी.एन. सिंह अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, शास्त्री नगर, मेरठ	8795810050
3.	तदैव	श्री विशम्भर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, शास्त्री नगर, मेरठ	8795810028
4.	तदैव	श्री नरेश बाबू, प्रभारी सम्पत्ति प्रबन्धक	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, से–9 शास्त्री नगर, मेरठ–250001	8795810670

स्वागत/जनसम्पर्क अधिकारी, प्रचार अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, मुख्यालय, लखनऊ पर भी कार्यालय दिवस में पंजीकरण पुस्तिकायें प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक ऑन लाइन आवेदन करना चाहते है, वे परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर आवेदन कर सकते हैं।

मानानीय प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ, लोहरामऊ योजना–सुल्तानपुर, मझोला योजना संख्या–4, भाग–2, मुरादाबाद एवं जागृति विहार योजना(विस्तार), मेरठ में दुर्बल आय वर्ग फ्लैटों (जी+3) के आन–लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

मा0 प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ, लोहरामऊ योजना–सुल्तानपुर, मझोला योजना संख्या–4, भाग–2, मुरादाबाद एवं जागृति विहार योजना(विस्तार), मेरठ में दुर्बल आय वर्ग फ्लैटों (जी+3) के आन–लाइन पंजीकरण **(Online Registration)** में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :–

आन–लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन–लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट **www.upavp.in** पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Pradhanmantri Awas Yojan-Online Registration" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैटस की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढकर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, पैन नम्बर, निवास–पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार, स्कैन्ड फोटोग्राफ / हस्ताक्षर एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन–लाईन अपलोड / फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन–लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0 / पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होगें।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा **ई–रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जायेगा।**

पंजीकरण धनराशि का भुगतान :–

- उपरोक्तानुसार आन–लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट–आउट में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगीं:–

  - ✓ Visit website www.upavp.in & click on link " Pradhanmantri Awas Yojna-Online Registration "
  - ✓ Click on concerning scheme's webpage link.
  - ✓ Click on 'Apply Online' link & provide basic details and property.
  - ✓ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
  - ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as Netbanking/Debit/Credit Card.
  - ✓ If applicant selected 'e-challan' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
  - ✓ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest HDFC branch.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी। ;**नोट**–डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक ''**उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद**'' के पक्ष में देय होना चाहिए।)
- ➢ उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियाँ दर्ज / अपलोड की जायेगी।
- ➢ आन–लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (**फोटो आई0डी0 प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति / आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा–पत्र, ई–चालान की प्रति आदि**) सहित **पंजीकरण पुस्तिका में वर्णित सम्बन्धित शहर के सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जायेगा।**

रू0 10/–के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

शपथ–पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी...उम्र...............................वर्ष........................ पुत्र / पुत्री / पत्नी...निवासी.. शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ:

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति / पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति / पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है।
4. मेरे या मेरे परिवार के नाम भारत वर्ष अथवा उ0प्र0 राज्य के अन्य किसी नगर / शहर में कोई भी भवन / भूखण्ड नहीं है।
5. मैं शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष .... में समस्त श्रोत्रों से मेरी कुल वार्षिक आय (रू0 3,00,000 से अधिक नही थी) जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा में आवेदित व्यक्ति की पंजीकरण संख्या............................आधार नम्बर................................पंजीकृत है।
7. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान–बूझकर परिषद को दिया गया है, तो परिषद मेरे विरूद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथ बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 7 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

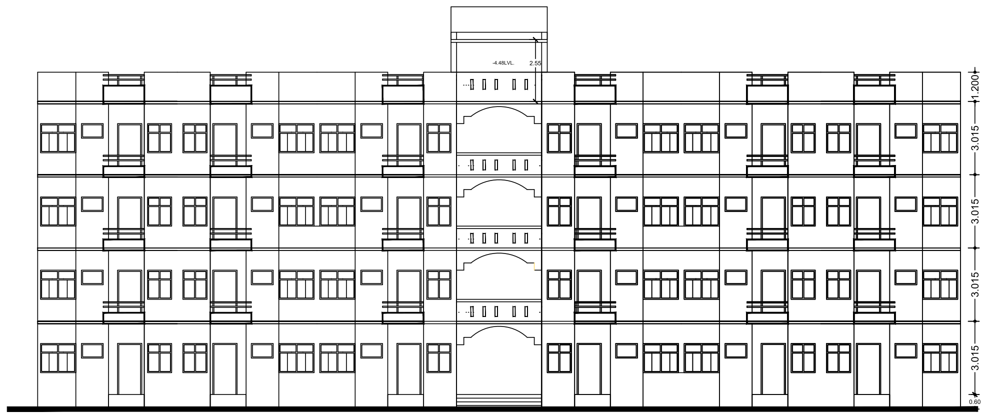

FRONT ELEVATION

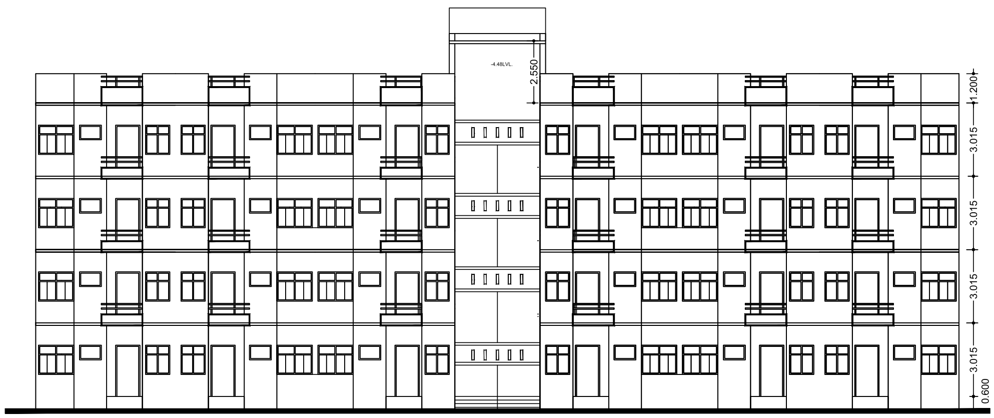

BACK ELEVATION

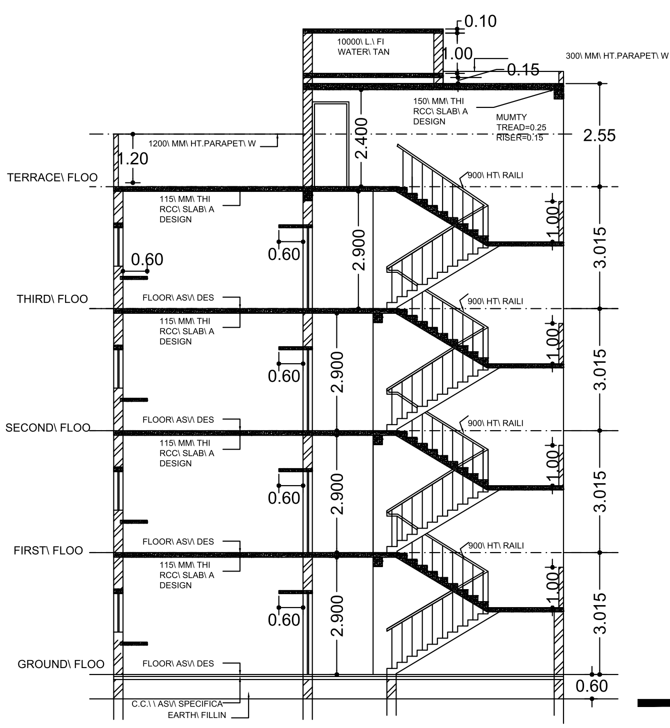

SECTION ELEVATION

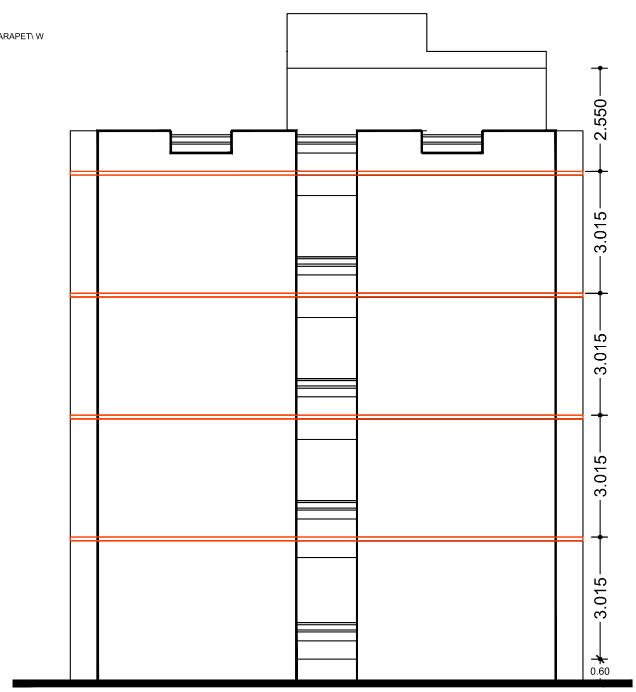

SIDE ELEVATION

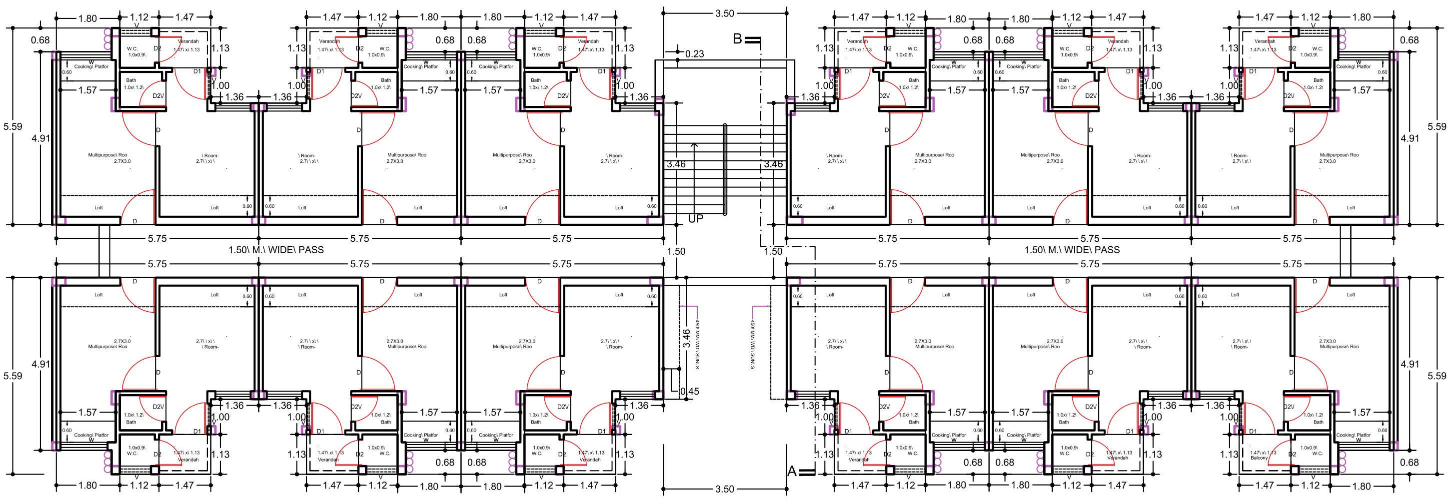

GROUND FLOOR PLAN

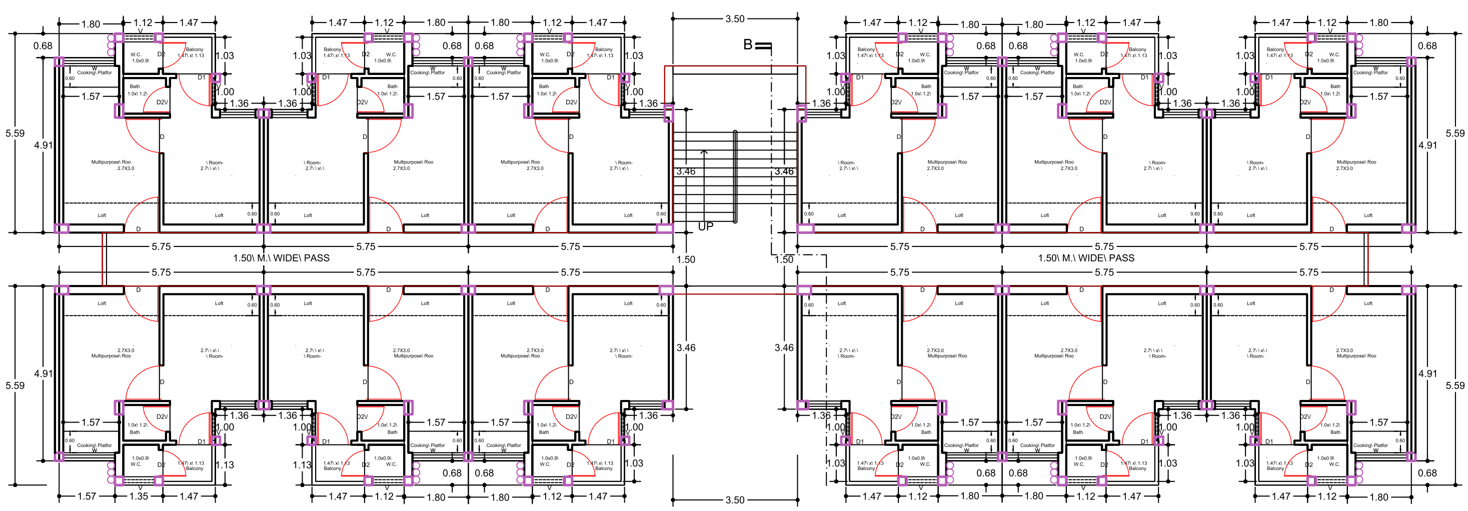

TYPICAL FLOOR PLAN

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

सबके लिए आवास भागीदारी में किफायती आवास घटक योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

वर्तमान कलर फोटो हस्ताक्षर सहित

योजना / शहर जिसमें फ्लैट / भवन प्राप्त करना चाहता है :

1. अवध विहार योजना, लखनऊ———————————————— **कोड संख्या–1**
2. लोहरामऊ रोड योजना सुल्तानपुर——————————————**कोड संख्या–2,**
3. मझोला योजना संख्या–4, मुरादाबाद——————————————**कोड संख्या–3,**
4. जागृति विहार (विस्तार), मेरठ————————————————**कोड संख्या–4**

योजना / शहर का कोड संख्या : [ ]

पंजी0 सं0:...................... **फार्म संख्या..........................**

(केवल कार्यालय प्रयोगार्थ)

1. आवेदक का नाम..
2. पिता / पति का नाम..
3. केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा / नगर निगम / नगर पालिका में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की संख्या ....
4. आधार नंबर ....

5. पंजीकरण के रूप में देय धनराशि रू0 25000 / –(रूपया पच्चीस हजार मात्र)
   (अ) बैंक ड्राफ्ट की स्थिति में बैंक ड्राफ्ट संख्या............................
   बैंक / शाखा का नाम..दिनांक...
   (ब) आर0टी0जी0एस0 / NEFT की स्थिति में यू0टी0आर संख्या...........................
   बैंक / शाखा का नाम..दिनांक...

6. लिंग(पुरूष–01, महिला–02, उभयलिंगी–03) [ ]

7. **धर्मः**–
   हिन्दू–01, मुस्लिम–02, इसाई–03, सिक्ख–04, जैन–05, बौद्ध–06, पारसी–07, अन्य08 (उल्लेख करें) कोड संख्या [ ]

कृ0पृ0उ0

8. **जातिः—**

सामान्य—01, अनुसूचित जाति—02, अनुसूचित जनजाति—03, अन्य पिछड़ा वर्ग—04, अन्य वर्ग—05 कोड संख्या

9. आवेदक बैंक का ब्यौराः—

क—बैंक और शाखा का नाम...

ख—बैंक खाता संख्या—...

ग—बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या...

10. क्या आवेदक दिव्यांग / विकलांग है (हॉ / नहीं)

11. वैवाहिक स्थिति...

(विवाहित—01, अविवाहित—02, एकल महिला / विधवा—03) कोड संख्या

संलग्नक—निम्न प्रमाण पत्रों की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति।

आरक्षण विशेष का प्रमाण—पत्र (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत), केन्द्र सरकार / सूडा / डूडा में पंजीकरण प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड की प्रति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता / दिव्यांगता प्रमाण—पत्र की प्रति।

(लाभार्थी / आवेदक)

हस्ताक्षर / अंगूठा

बैंक द्वारा प्राप्त किये गये फार्म की प्राप्ति रसीद

आवेदन क्रमांक ....

आवेदक का नाम ....

पता ....

योजना / शहर का नाम ....

बैंक अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर व मुहर